सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान

छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत संचालित ऑनलाइन वेब पोर्टल पर विद्यार्थी/शिक्षण संस्था/जिला कार्यालय में प्रदर्शित समस्याओं के समाधान

बेबसाइट **https://sje.rajasthan.gov.in** **SCHOLARSHIP PORTAL URL** https://sjmsnew.rajasthan.gov.in/scholarship

छात्रवृत्ति पोर्टल पर सत्र 2023–24 में किये गये नवीन बदलाव

विद्यार्थी के स्तर पर

क्रम संख्या	नवीन प्रावधान
1	**आधार बेस्ड बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन** – विद्यार्थी द्वारा एसएसओ आईडी/ई–मित्र/मोबाईल के माध्यम से आवेदन कर आधार बेस्ड बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन के आधार पर ही आवेदन सबमिट होगा। **मोबाइल एप पर फेस रिकग्निशन** के माध्यम से भी विद्यार्थी द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन।
2	**आवेदन की बारम्बारता** – एक सत्र में केवल एक आवेदन ही सम्भव
3	**आक्षेप पूर्ति** स्वयं विद्यार्थी के बायोमैट्रिक ऑथेन्टिकेशन के उपरांत ही संभव ।
4	**जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र** के मेटाडाटा में टोकन नम्बर, सर्टिफिकेट सीरियल नम्बर, तहसील एवं जारीकर्ता कार्यालय का विवरण प्रदर्शित होगा।
5	**जाति श्रेणी में परिवर्तन** – पूर्व सत्रों के छात्रवृत्ति आवेदनों में भरी गई जाति श्रेणी से भिन्न जाति श्रेणी जनाधार डाटा से प्राप्त होती है तो ऐसे आवेदन पोर्टल पर सबमिट नहीं हो सकेंगे।
6	**युनिक डाटा** – आवेदक का आधार सीडेड/लिंक्ड बैंक खाता, आधार कार्ड, जनाधार मेम्बर आई डी, चालू मोबाईल नं., ई–मेल आई डी का विवरण प्रत्येक आवेदन के लिए यूनिक होगा

7	**शैक्षणिक दस्तावेज**– राजस्थान/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा 10वीं, 12वीं की मार्कशीट का मैटा डाटा डिजी लॉकर/राज ई वॉल्ट के माध्यम से प्राप्त कर साथ ही उक्त दस्तावेज अपलोड भी किया जावेगा। **अन्य बोर्ड** से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के मामलों में अंकतालिका अपलोड किये जाने का ऑप्शन पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा।
8	**शिक्षण संस्था का एक बार ही चयन**– छात्रवृति आवेदन को एक बार सबमिट कर दिए जाने के पश्चात् विद्यार्थी द्वारा चयन की गई शिक्षण संस्थान में कोई भी परिवर्तन किया जाना अनुमत नहीं ।
9	**बैंक खाता**– छात्रवृत्ति राशि जनाधार से प्राप्त केवल संबंधित विद्यार्थी के आधार सीडेड बैंक खाते में ही डीबीटी की जावेगी।
10	**आधार बेस्ड् बायोमेट्रिक उपस्थिति** – विद्यार्थी द्वारा संस्थान में प्रति माह आधार बेस्ड् बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने के बाद ही आवेदन संस्था की ओर से जिला कार्यालय को अग्रेषित व स्वीकृत हो सकेगा।
11	मैनेजमेंट कोटा, एन.आर.आई. कोटा, स्पॉट एडमिशन इत्यादि को छात्रवृत्ति हेतु पात्र नहीं इस हेतु विद्यार्थी से चैकबॉक्स अंकित करवाया जायेगा।

———